(ख) सरकार ने क्षय रोग की औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा 1997-98 से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए और उपचार के अन्तर्गत लाए गए रोगियों के लिए क्षय रोग रोधी दवाओं की शत-प्रतिशत आवश्यकता की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान वर्ष में लगभग 9.5 करोड़ रुपए की लागत की औषधियों का प्रापण कर लिया गया है और उन्हें विभिन्न जिला क्षय रोग केन्द्रों को वितरित किया जा रहा है। जिला क्षय रोग केन्द्रों में औषधियों की कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए डी एफ आई डी से लगभग 20 करोड़ रुपए की सामग्री-सहायता भी प्राप्त हुई है। क्षय रोधी औषधियां खरीदने के लिए फरवरी/मार्च, 1998 में राज्यों को नगद सहायता प्रदान की गई थी जिसमें से राज्यों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में औषधियों का प्रापण किया है। जनवरी, 1999 में नेगेटिव स्मूटम वाले रोगियों के लिए क्षय-रोधी औषधियों की खरीद हेतु 23.16 करोड़ रुपए की और नगद सहायता रिलीज की गई है।

प्रजनन क्षमता पर गोलियों का प्रभाव

511. श्री अनंतराय देवशंकर दवे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आम युवतियों और महिलाओं द्वारा परिवार नियोजन संबंधी गोलियों के अत्यधिक सेवन के कारण उनकी मंद हो रही अथवा नष्ट हो रही प्रजनन क्षमता के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं और ऐसी महिलाओं की राज्य-वार प्रतिशतता संबंधी अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने भी महिलाओं को गर्भ-निरोध गोलियों के अत्यधिक सेवन से बचने की सलाह दी है;

(घ) क्या सरकार गर्भनिरोध के सरल तरीकों की तलाश करने की कोशिश कर रही है जिनका महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई): (क) से (ग) जी नहीं। ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि गर्भ-निरोधक गोलियों का युवा महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, प्रजनन अनुसंधान संस्थान, मुम्बई और अन्य प्रसिद्ध अनुसंधान संगठनों के माध्यम से अधिक प्रभावी और कम दुष्प्रभावी नए गर्भ-निरोधकों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Shortage of Medicines in CGHS Dispensaries in Delhi

512. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that CGHS Allopathic Dispensaries in the Capital are not at all having medicines of general nature such as for fever, headache, etc.;

(b) whether the doctors are refusing to give such medicines and asking the patients to buy the same from the open market; and

(c) if so, what are the facts in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) The Government is aware of the occasional shortage of some of the listed formulary medicines in the dispensaries. However, in case of non-availability of any medicine, the same is procured from the Authorised Local Chemist against individual prescription. *In case of urgency, an Authority Slip is* issued by the Chief Medical Officer In-charge/doctor on duty to the patient to collect the non-available medicines in the dispensaries from the Authorised Local Chemist for which the beneficiary does not have to make any payment.

(b) Doctors are neither refusing to give medicines nor are they asking the patients to buy medicines from open market.

(c) Information has been given in para (a) above.